भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1040

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना

1040. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना लागू की गई है;

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत जनजातीय क्षेत्र सहित भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है तथा अपनी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन और प्रचार (डीपीपीएच)' तथा 'बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीएमडी)' योजनाओं के माध्यम से संवर्धनात्मक गतिविधियां की जाती हैं। अपनी चल रही गतिविधियों के भाग के रूप में, मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत जनजातीय उत्सवों सहित मेलों और उत्सवों तथा खरीदारी उत्सवों के लिए सीएफए प्रदान करता है।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासनों द्वारा परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति और उनकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

पर्यटन गंतव्यों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विकास तथा संवर्द्धन के लिए अभिज्ञात किया जाता है, पर्यटन मंत्रालय जनजातीय परिपथों सहित देश मे पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन' और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन की जनजातीय परिपथ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध – I

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना के संबंध में दिनांक 26.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 1040 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण, पर्यटन मंत्रालय जनजातीय उत्सवों सहित मेलों और उत्सवों तथा खरीदारी उत्सवों के लिए सीएफए प्रदान करता है

(**लाख रु. में**)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वर्ष**	**परियोजनाओं का नाम**	**जारी की गई राशि**
1	छत्तीसगढ	2019-20	राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव	20.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2019-20	2019-20 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में रिवर ट्राइब्स एंगलिंग फेस्टिवल-2019 और एमआईएओ-2019 में बटरफ्लाई मीट के आयोजन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	50.00

*****

अनुबंध - II

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना के संबंध में दिनांक 26.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 1040 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

जनजातीय परिपथ के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परिपथ का नाम/ (स्वीकृति वर्ष)**	**परियोजना का नाम**	**जारी की गई**
1.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ (2015-16)	पेरेन - कोहिमा - वोखा में परिपथ का विकास	87.62
2.	छत्तीसगढ	जनजातीय परिपथ (2015-16)	जशपुर - कुनकुरी- मैनपत- अंबिकापुर- महेशपुर -रतनपुर- कुर्दर-सरोदादार- गंगरेल- कोंडागांव- नाथियानकगाँव - जगदलपुर - चित्रकूट- तीर्थगढ़ का विकास ।	80.44
3.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ (2016-17)	मुलुगु-लकनावरम - मेदवारम- तड़वई- दमारवी- मल्लूर- बोगाथा झरना का एकीकृत विकास ।	75.88
4.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ (2016-17)	मोकोकचुंग -तून्सांग-मोन का विकास	88.33
			कुल	**332.27**

*****